भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3034
मंगलवार, 08 अगस्त, 2023/3 श्रावण, 1945 (शक) को उत्तरार्थ

सहकारी समितियों से प्रतिदाय

†3034. श्री रवनीत सिंह:
श्री सु. थिरुनवुक्करासरः

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) क्या सहारा समूह सहित सहकारी समितियों के विभिन्न समूहों में निवेश के कारण बड़ी संख्या में निवेशकों ने अपनी मेहनत की कमाई गंवा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक ऐसे निवेशों में निवेशकों को कुल कितनी अनुमानित हानि हुई है;

(ग) क्या सरकार ने देश में संबंधित पीड़ित व्यक्तियों को उनके धन की वापसी के लिए कोई कदम उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पूरी राशि वापस करने की समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने गरीब जमाकर्ताओं के वैध दावों को प्रस्तुत करने के लिए कोई कदम उठाने अथवा पोर्टल शुरू करने का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ङ): ऐसी सहकारी समितियां जिनका उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची- । - संघ सूची की प्रविष्टि 44 और केन्द्रीय प्रशासित बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के उपबंधों द्वारा अभिशासित होती हैं। एक राज्य तक सीमित उद्देश्यों वाली सहकारी समितियां संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची- ॥ की प्रविष्टि 32 - राज्य सूची और संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित होती हैं।

बहु-राज्य सहकारी समिति (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत पंजीकृत एक बहु-राज्य सहकारी समिति, स्वायत्त सहकारी संगठनों के रूप में कार्य करती है और अपने सदस्यों के प्रति जवाबदेह होती है। बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 की धारा 49 के प्रावधानों के अनुसार, व्यावसायिक मामले जैसे सदस्यों को स्वीकार करना, जमा स्वीकार करना और उनका निवेश करना और उन्हें वेतन के भुगतान सहित स्टाफ के मामले आदि समिति के बोर्ड की शक्तियों और कार्यों के अंतर्गत आते हैं और समिति का दिन-प्रतिदिन का प्रबंधन बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 की धारा 52 के प्रावधानों के अनुसार समिति के मुख्य कार्यकारी की शक्तियों और कार्यों के अंतर्गत आता है।

इसके अतिरिक्त, सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों नामत: सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद के जमाकर्ताओं से बहुत बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इसके बाद, इन समितियों के लिए सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक के समक्ष नवंबर, 2019 से दिसंबर, 2020 के बीच सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान, इन समितियों द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि लगभग 9.88 करोड़ निवेशकों से 86,673 करोड़ रुपये की राशि एकत्र की गई है और इसमें से 62,643 करोड़ रुपये केवल एंबी वैली लिमिटेड में निवेश किए गए हैं।

इसके बाद, सहकारिता मंत्रालय द्वारा रिट याचिका (सी) संख्या 191/2022 - पिनाक पानी मोहंती बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में आईए नंबर 56308/2023 दायर किया गया था। जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29.03.2023 के आदेश के तहत अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्देश दिया कि:

(i) सहारा-सेबी रिफंड खाते में पड़ी 24,979.67 करोड़ रुपये की कुल राशि में से 5,000 करोड़ रुपये सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक को हस्तांतरित किए जाएंगे, जो बदले में सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के वैध बकायों के खिलाफ इसे वितरित करेंगे, जिसका भुगतान वास्तविक जमाकर्ताओं को सबसे पारदर्शी तरीके से और उचित पहचान पर और उनकी जमा राशियों का प्रमाण और उनके दावों का प्रमाण प्रस्तुत करने पर किया जाएगा और जिसे सीधे संबंधित बैंक खातों में जमा किया जाएगा।

(ii) इस संवितरण की निगरानी इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी द्वारा श्री गौरव अग्रवाल, विद्वान अधिवक्ता की सक्षम सहायता से की जाएगी, जिन्हें न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी के साथ-साथ सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक की सहायता के लिए न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया गया है। भुगतान करने के तरीके और तौर-तरीकों को सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक द्वारा इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी और श्री गौरव अग्रवाल, विद्वान अधिवक्ता के परामर्श से तैयार किया जाना है।

(iii) हम निर्देश देते हैं कि सहारा समूह की सहकारी समितियों के संबंधित वास्तविक जमाकर्ताओं को उपरोक्त 5,000 करोड़ रुपये की राशि में से राशि का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए, लेकिन आज से नौ महीने के भीतर नहीं। इसके बाद शेष राशि फिर से "सहारा-सेबी रिफंड खाते" में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में, सहारा समूह की 4 बहु-राज्य सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के लिए 18.07.2023 को एक ऑनलाइन पोर्टल 'सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल' लॉन्च किया गया है। पोर्टल को सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट https://cooperation.gov.in और https://mocrefund.crcs.gov.in के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। इन समितियों के वास्तविक जमाकर्ता पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन दाखिल करके अपने रिफंड दावे प्रस्तुत कर सकते हैं और अपेक्षित दस्तावेज अर्थात अपनी जमा राशि और दावों का प्रमाण अपलोड कर सकते हैं। केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दायर दावों पर विचार किया जाएगा। निधि की उपलब्धता के अध्यधीन, वास्तविक जमाकर्ताओं को भुगतान उनके ऑनलाइन दावे दाखिल करने के 45 दिनों के भीतर उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा किया जाएगा और उन्हें एसएमएस / पोर्टल के माध्यम से स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया का पर्यवेक्षण और निगरानी न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री आर. सुभाष रेड्डी द्वारा की जा रही है।

*****